

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मोतिहारी।

पटना, दिनांक- 11/9/18

विषय:- ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा पुर्न अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०-02/2017-18 के ग्रुप सं०-27 के कार्य वार्ड नं०-26 में भानू लॉज से धनौती नदी तक नाला निर्माण कार्य के निविदा के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का पत्रांक-320 दिनांक-31.08.2018 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त 02 निविदाकारों के डाउनलोडेड निविदा कागजात के समीक्षोपरान्त मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-

| ग्रुप सं० | कार्य का नाम | मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने के कारण। | अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना का अनुपालन करने के कारण) |
|-----------|---|--|--|
| 27. | वार्ड नं०-26 में भानू लॉज से धनौती नदी तक नाला निर्माण कार्य। | (1) मे० शिवांश कन्सट्रक्शन (प्रो०-मनीष कुमार सिंह) उद्धृत दर:- परिमाण विपत्र की राशि से 0.02% कम दर पर। (2) श्री रूपेश कुमार सिंह उद्धृत दर:- परिमाण विपत्र की राशि पर। | NIL |

उक्त मान्य दोनों निविदाकारों में से न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार मे० शिवांश कन्सट्रक्शन (प्रो०-मनीष कुमार सिंह) को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 33,22,754/- (तींतीस लाख बाईस हजार सात सौ चौवन) रुपये मात्र से 0.02% कम दर पर जिसकी कुल राशि 33,22,109/- (तींतीस लाख बाईस हजार एक सौ नौ) रुपये मात्र पर पर आवंटित किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

एकरारनामा के पूर्व उक्त कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दरों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे, क्योंकि परिमाण विपत्र का अनुमोदन कार्यपालक अभियंता, डुडा, डुडा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के स्तर से हुआ है।

निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि 04 (चार) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।

